इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 27, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-407-2015-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2015 द्वारा निम्नांकित भाप्रसे अधिकारियों को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है, को अस्थाई रूप से, आगमी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए विभाग में पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	विभाग जिसमें पदस्थ किया जाता है
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे (2004) उपसचिव, म. प्र. शासन.	स्कूल शिक्षा विभाग
2	श्री नंद कुमारम (2008) उपसचिव, म. प्र. शासन.	जल संसाधन विभाग तथा पदेन परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना (PICU), जल संसाधन विभाग.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 2 दिसम्बर 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2015 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 31 अक्टूबर 2015 तक उनहत्तर दिन का संशोधित अर्जित अवकाश दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-450-2012-5-एक.—जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 11 के अन्तर्गत ग्राम हिनोतिया के खसरा क्रमांक 44 एवं 45 की भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद भी इस खसरे के बटांकों की भूमि निजी व्यक्ति को हस्तांतरित कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त भोपाल द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 125/02 अंतर्गत धारा 13 (1) (सी), (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 120-बी, 420 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना की गई. इस प्रकरण से उद्भूत विशेष प्रकरण क्रमांक एमजेसी 8/2007 में दिनांक 20 फरवरी 2007 को श्री उपाध्याय के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया.

(2) चयन वर्ष 2007 और 2008 के लिये पदोन्नति से भाप्रसे में नियुक्ति हेतु चयन समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 23 जून 2008 को संपन्न हुई. श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय के विरूद्ध उपरोक्त अभियोजन प्रकरण संस्थित होने से इस बैठक के समय उनकी संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गई. श्री उपाध्याय का नाम चयन सूची 2007 में उनके विरूद्ध संस्थित आपराधिक कार्यवाही में उनके दोषमुक्त होने और राज्य द्वारा उनके पक्ष में संनिष्ठा प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की शर्त पर प्राविधिक रूप से सम्मिलित किया गया.

वर्ष 2008 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री उपाध्याय उनके गोपनीय प्रतिवेदनों के समग्र आकलन के आधार पर चयन सूची में स्थान नहीं पा सके. वर्ष 2008 की समाप्ति के पूर्व (चयन सूची 2007 की वैधता अवधि की दिनांक 31 दिसम्बर 2008 तक) श्री उपाध्याय के आपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय का अंतिम विनिश्चिय न हो पाने के फलस्वरूप उनकी संनिष्ठा 31 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रमाणित नहीं की जा सकी और उनका प्राविधिक चयन अंतिम नहीं हो सका. श्री उपाध्याय का चयन अंतिम न हो पाने से शेष 1 रिक्ति को चयन वर्ष 2008-ए की रिक्तियों में समाहित करते हुए वर्ष 2008-ए की रिक्तियां नियत हुई.

इस बीच आपराधिक प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अन्तर्गत आरोप रचित किया गया और इस निर्णय के विरुद्ध श्री उपाध्याय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक एम.सी.आर.सी. 1582/2007 दायर की गई. इस याचिका पर पारित निर्णय दिनांक 14 मई 2009 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री उपाध्याय के विरुद्ध रचित आरोपों को निरस्त कर दिया गया. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री सुरेन्द्र उपाध्याय के नाम पर वर्ष 2007 एवं 2008 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये विचारण किये जाते समय राज्य शासन द्वारा रोके गए संनिष्ठा प्रमाण-पत्र को जारी किया जा सकता है. तद्नुसार राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 जून, 2009 को श्री सुरेन्द्र उपाध्याय के संबंध में संनिष्ठ प्रमाण-पत्र जारी कर यह प्रमाण-पत्र और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति आयोग और भारत सरकार को प्रेषित की गई. इस संदर्भ में भारत सरकार/आयोग से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ.

(3) चयन वर्ष 2008-ए और 2009 की रिक्तियों के संबंध में चयन समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2011 को संपन्न हुई. श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय चयन वर्ष 2008-ए की सूची में उनके समग्र आकलन के आधार पर सम्मिलित नहीं हो सके. उनका नाम चयन सूची 2009 में सम्मिलित हुआ और भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2011 से उन्हें भाप्रसे में नियुक्ति प्रदान की गई. तद्नुक्रम में जारी भारत सरकार के आदेश क्रमांक 14014/3/2007-एआईएस-1, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 से श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष 2002 प्रदान किया गया.

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा उनका नाम चयन सूची 2007 के संदर्भ में ''बिना शर्त और अंतिम रूप से'' घोषित किए जाने के बारे में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण खण्डपीठ जबलपुर में ओ. ए. क्रमांक 420/2009 दायर की गई. माननीय अधिकरण ने दिनांक 28 अगस्त 2012 को यह निर्णय पारित किया गया कि राज्य शासन इस आदेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर श्री उपाध्याय का नाम चयन सूची 2007 में ''बिना शर्त और अंतिम रूप से'' सम्मिलित करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार करे और आयोग ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर, दो माह की अवधि में विचार कर इस मामले का निराकरण, चयन सूची को प्रभावशील मानते हुए करें. यदि आयोग चयन सूची 2007 में ''प्राविधिक'' रूप से सम्मिलित श्री उपाध्याय के नाम को

''बिना शर्त और अंतिम रूप से'' सम्मिलित घोषित किए जाने का निर्णय लेता है तो भारत सरकार उस पर विचार कर आयोग का क्लीयरेंस प्राप्त होने के एक माह के अन्दर श्री उपाध्याय को चयन सूची 2007 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने के बारे में अधिसूचना जारी करने पर विचार करें. ऐसी अधिसूचना जारी होने के उपरांत श्री उपाध्याय को सभी अनुवर्ती लाभ (वेतन के एरियर्स को छोड़कर) प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(5) उपरोक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य शासन को अधिकरण के उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए गए. राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बारे में की जा रही कार्यवाही की जानकारी चाही गई. भारत सरकार ने अवगत कराया कि भारत सरकार माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 28 अगस्त 2012 के विरूद्ध अपील में जाने की मंशा नहीं रख रही है और यह निर्देश दिए कि यदि राज्य शासन ने इस मामले में अपील में जाने का निर्णय न लिया हो तो अधिकरण के उक्त आदेश का अनुसरण करने की आवश्यक कार्यवाही की जाए. राज्य शासन के पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2014 से संघ लोक सेवा आयोग को यह अवगत कराया गया कि वस्तुतः अभियोजन प्रकरण अपास्त होने और श्री उपाध्याय के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने के निर्णय के पूर्व ही वर्ष 2007 की चयन सूची लैप्स हो चुकी थी, अतः अखिल भारतीय सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7(4) के प्रावधानों के आलोक में श्री उपाध्याय अपने नाम को जो वर्ष 2007 की चयन सूची में ''प्राविधिक'' रूप से सम्मिलित था, ''बिना शर्त'' सम्मिलित करने का अनुतोष पाने की अर्हता नहीं रखते थे और इस बारे में उनके द्वारा अधिकरण से की गई प्रार्थना स्थिर रखे जाने योग्य नहीं थी. प्राधिकरण द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों का आधार अपने निर्णय में लिया गया है, उसमें से 2 न्याय दृष्टांतों के तथ्य और परिस्थितियां श्री उपाध्याय के प्रकरण से तात्विक रूप से भिन्न है और 2 अन्य प्रकरणों के तथ्यों और परिस्थितियों का संज्ञान राज्य शासन को नहीं है, अतः उनके संबंध में राज्य द्वारा कोई टिप्पणी की जाना संभव नहीं है. संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इन न्याय दृष्टांतों में प्रतिवादी रहे हैं, अतः वे ही इस बारे में कोई टिप्पणी करने के लिये सक्षम हैं. चूंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियम, 1955 को प्रशासित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी है, ने स्वयं अपील में नहीं जाने का निर्णय लिया है, जबकि इस प्रकरण में अधिकरण के निर्देश उक्त विनियमों के विनियम 7(4) के प्रावधानों के विपरीत हैं और चूंकि संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पत्रों, जिनसे श्री उपाध्याय का नाम ''बिना शर्त'' प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया है, से भी यह स्पष्ट है कि आयोग की मंशा भी अधिकरण के आदेश को चुनौती देने की नहीं है. अतः मध्यप्रदेश राज्य द्वारा इस प्रकरण में आगे कोई विधिक कार्यवाही किए जाने का विशेष औचित्य शेष नहीं रह जाता है और राज्य शासन अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील में जाने के बजाए, अधिकरण के आदेश का अनुपालन का निर्णय लेते हुए श्री उपाध्याय का नाम वर्ष 2007 की चयन सूची में ''बिना शर्त'' शामिल किए जाने के बारे में आवश्यक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर रहा है.

(6) संघ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 से भारत सरकार को यह अवगत कराया गया कि आयोग ने श्री उपाध्याय का नाम चयन सूची 2007 में बिना शर्त और अंतिम रूप से सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14015-13-2008-2008-एआईएस-1 बी दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 से श्री सुरेन्द्र उपाध्याय का नाम,, जो कि चयन सूची 2007 के सरल क्रमांक 10 पर ''प्राविधिक'' रूप से सम्मिलित था, को ''बिना किसी शर्त और अंतिम रूप से'' सम्मिलित करते हुए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन सूची 2007 से नियुक्ति प्रदान की गई. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14014/3/2007-एआयएस-1, दिनांक 24 अप्रैल 2015 से श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को पूर्व में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आवंटन वर्ष 2002 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2000 प्रदान किया गया है.

(7) उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष 2002 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2000 प्रदान किए जाने पर श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के कारण कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की अर्हता प्राप्त हो गई. अतः श्री उपाध्याय को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई 1/6/2009/5/1, दिनांक 20-8-2015 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड प्रदान किया गया है.

(8) भारत सरकार द्वारा भाप्रसे के विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति के लिये दिनांक 28 मार्च 2000 को जारी दिशा निर्देश और भारत सरकार द्वारा 20 मार्च, 2007 को अधिसूचित भाप्रसे (वेतन) नियम 2007 में प्रवर श्रेणी वेतनमान आवंटन वर्ष से 13 वर्ष में दिये जाने का प्रावधान है. प्रवर श्रेणी वेतनमान में विचारण के लिये वही अधिकारी पात्र होते हैं, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हों.

(9) आवंटन वर्ष 2000 के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 को सम्पन्न हुई थी और समिति द्वारा अनुशंसित अधिकारियों को आदेश दिनांक 31 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया है.

(10) उक्त बैठक के समय श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष 2000 आवंटित न होने से प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिये उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका था. आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप श्री उपाध्याय को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की अर्हता प्राप्त हो गई है.

(11) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ जबलपुर

के ओ. ए.-420/2009/में पारित निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2012 के अनुपालन में तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, भाप्रसे-2000 को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के लिये उपयुक्तता निर्धारण हेतु उनका प्रकरण दिनांक 4-11-2015 को रिव्यू छानबीन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया.

(12) समिति ने श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय के बारे में आवंटन वर्ष 2000 के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिये उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी, 2013 को सम्पन्न हुई छानबीन समिति की बैठक के क्रम में रिव्यू किया गया. विचारोपरांत रिव्यू समिति ने श्री उपाध्याय को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के संबंध में उपयुक्त पाया.

(13) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2013 से स्वीकृत किया गया है. अतः राज्य शासन उपरोक्त के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, भाप्रसे (2000) को आवंटन वर्ष 2000 के उनसे कनिष्ठ श्री नीरज दुबे को प्रवर श्रेणी प्रदान किए जाने की तिथि से, अर्थात् दिनांक 1-1-2013 से काल्पनिक रूप से प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700) प्रदान करता है.

(14) प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2013 से निर्धारित होंगे, किन्तु प्रवर श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राप्त होगा.

क्र. ई-5-830-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएएस., कलेक्टर जिला होशंगाबाद को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 5 जनवरी 2016 तक सोलह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है

(2) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री अभिजीत अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्र. ई-13-07-2015-5-एक.—राज्य शासन भा. प्र. से. अधिकारियों को A.T. I., Mysore में दिनांक 23 नवम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक आयोजित 117वें इंडक्शन (प्रवेश प्रशिक्षण) में भाग लेने की अनुमति आदेश दिनांक 5 नवम्बर 2015 के अनुक्रम में श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे (2002), कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा के उक्त प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को दिनांक 9 से 20 नवम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री संजीव सिंह को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव विमानन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 5 से 10 नवम्बर 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 5 से 23 नवम्बर तक उन्नीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2015 अनुसार यथावत.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-414-2015-5-एक.—श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर को राजस्व एवं राहत से संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-38-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1999 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 10000) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री केदारलाल शर्मा (1999) कलेक्टर, टीकमगढ़.	कलेक्टर, टीकमगढ़ (पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए).	सचिव म. प्र. शासन (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण).
2	श्री एस. सुहेल अली (1999) सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर.	वि.क.अ.-सह-सचिव राजस्व मंडल, ग्वालियर.	संभागीय कमिश्नर
3	श्रीमती रजनी उइके (1999) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को समसंख्यक आदेश 02 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 2 से 6 नवम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 9 नवम्बर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2015 द्वारा दिनांक 28 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2015 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 सितम्बर एवं 17, 18 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी थी, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 16 अक्टूबर 2015 तक चौदह दिन का संशोधित / पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 2 एवं 17, 18 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-836-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अमित तोमर, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित तोमर, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, राप्रसे अपर कलेक्टर धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने श्री अमर सिंह बघेल, राप्रसे अपर कलेक्टर, धार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-874-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल आयएएस. (2009), अपर कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 16 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, जिला नीमच पद पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाश काल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-885-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को समसंख्यक आदेश 9 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 16 से 30 नवम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-933-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक आर्य आयएएस. (2012), अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी को दिनांक 31 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2015 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-416-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री जी. पी. श्रीवास्तव (1997) वि.क.अ.-सह-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
2	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी (2000) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी.	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-424-2015-5-एक.—(1) श्री जे. एन. मालपानी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री जे. एन. मालपानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-2 में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) श्री शोभित जैन, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 9 से 23 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अरूण तिवारी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तिवारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उपसचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. ई-1-435-2015-5-एक.—(1) श्री अनुरोग चौधरी, भाप्रसे (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), रायसेन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), झाबुआ पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 5 से 23 नवम्बर 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 24 से 30 नवम्बर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2015 अनुसार यथावत.

क्र. ई-5-864-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस., कलेक्टर, जिला सीधी को दिनांक 3 से 11 दिसम्बर 2015 कर नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, एवं 13 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विशेष गढ़पाले, की अवकाश अवधि में श्री मोहित बुंदस,भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अपर कलेक्टर (विकास), जिला पंचायत, सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री विशेष गढ़पाले द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहित बुंदस, कलेक्टर जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक.-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 1 से 2 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2015 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-903-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, आयएएस., अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-904-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 4 से 8 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2015 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) को दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 27 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे संचालक, आरसीव्हीपी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ)का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-577-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं 9, 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विनोद सेमवाल, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सेमवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-670-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 तक इक्कीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा संचालक, एड्स को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 24, 25 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 19, 20 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में डा. संजय गोयल, भाप्रसे कलेक्टर ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. खरे द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. संजय गोयल, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-848-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 4 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल को दिनांक 7 से 23 दिसम्बर 2015 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र.एफ ए 5-6-2015-एक(1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शान्तुन एस. केमकर, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	26-10-2015 से दिनांक 28-10-2015 तक.	03	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 21-10-2015 से 25-10-2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र.एफ ए 5-25-2011-एक (1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचन्द गर्ग, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 13-10-2015	01	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरनाथ दुबे, उपसचिव..

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-921-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. पंकज जैन, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को दिनांक 19 अक्टूबर 2015 से 7 नवम्बर 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. पंकज जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. पंकज जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., तत्कालीन संचालक, कौंशल विकास, जबलपुर को दिनांक 31 मई 2013 से 26 सितम्बर 2013 तक एक सौ उन्नीस का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., तत्कालीन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 5 से 24 नवम्बर 2015 तक बीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 5 से 16 नवम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री मेहा मारव्या, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर को

दिनांक 21 से 25 अगस्त 2015 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-848-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 13 से 18 नवम्बर 2015 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-914-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहित बुन्दस, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2015 द्वारा दिनांक 6 से 25 जुलाई 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 6 जुलाई से 7 अगस्त 2015 तक, तैंतीस दिन का संशोधित / पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 4 से 20 नवम्बर 2015 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 नवम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2015 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 16 से 24 नवम्बर 2015 तक नौ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)147-90-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., म. प्र. भोपाल को दिनांक 14 से 23 दिसम्बर 2015 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 एवं 24-25 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री राजेश सिंह चंदेल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक,

(मुख्यालय) एस.टी.एफ., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)393-88-बी-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दि. 25 जुलाई 15 द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक / प्रमुख सलाहकार, म. प्र. राज्य योजना आयोग, भोपाल को दिनांक 3 से 7 अगस्त 2015 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 2, 8, एवं 9 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपरोक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2015 में अकेले गृह नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाने की अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी.

(2) उक्त आदेश के संदर्भ में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 1(सी)-10-2015-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार शहडोल जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता को जिला शहडोल में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3-11-2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

टीप—श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा की जन्मतिथि 15 मार्च 1958 (पन्द्रह मार्च उन्नीस सौ अट्ठावन) है, जो दिनांक 15 मार्च 2020 को आयु 62 (बासठ) वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(सी)-10-2015-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो)2015.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री अरविंद द्विवेदी अधिवक्ता जिला शहडोल को जिला शहडोल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री अरविंद द्विवेदी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

श्री अरविंद द्विवेदी, अधिवक्ता शहडोल, को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

टीप—श्री अरविंद द्विवेदी की जन्मतिथि 3 दिसम्बर 1971 (तीन दिसम्बर उन्नीस सौ इकहत्तर) है, दिनांक 3 दिसम्बर 2033 को आयु 62 (बासठ) वर्ष पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन, द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की

उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर विभाग समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2011 के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम, जिला-शहडोल मध्यप्रदेश में सुश्री नीलम खरे को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था.

(2) सुश्री नीलम खरे पिता श्री बी. डी. खरे, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, शहडोल के विरुद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल के द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 2783/2006 पारित आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 से इनको भारतीय दण्ड विधान की धारा-323 में दोषी पाते हुए रुपये 1000/- का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है.

अतः उपरोक्त आधार पर मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987, के नियम-3 के उपनियम-(5) (ख) का दोषी पाने से राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री नीलम खरे,सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम शहडोल को तत्काल प्रभाव से सदस्य पद से पृथक करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-30-04-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2012 के तारतम्य में, राज्य सरकार, लोकहित में, वन तथा पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों, बालाघाट जिले के किरनापुर, हिर्री, खैरलांजी, लांजी, दुल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमलाझिरी तथा कोसमी के ग्रामों की सीमाओं के अन्दर के क्षेत्र तथा उन आरा मशीनों को छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2008, दिनांक 3 सितम्बर 2008 एवं दिनांक 8 सितम्बर 2008 द्वारा अनुमति दी गई हो, आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमीटर परिधि के भीतर के क्षेत्रों को राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-30-04-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-04-2002-दस-3, दिनांक 8 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 8th December 2015

No. F-30-04-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kashtha Chrian (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), and in continuation of this Departments Notification No. F-30-04-2002-X-3, dated 15th February, 2012, the State Government, hereby, in order to conserve and protect forest and environment in public interest, declare the areas within 29 K.M. radius, outside the boundaries of the Reserved or Protected forests, except the areas of Municipal Corporation, Municipalties, Nagar Panchayat and special Area Development Authorities, areas within boundaries of Krinapur, Hirri, Khairlanji, Lanji, Dulhapur, Lalbarra, Manpur, Amlajhirri and Kosmi villages of Balaghat district and also Saw mills for which approval was given by the Central Empowered Committee vide letter dated 8th April 2008, 3th September and 8 September 2008 to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. 3369-3290-15 पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए,कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्री हीरालाल अलावा JMFC
2	शिवपुरी	शिवपुरी	श्रीमती मिनी गुप्ता JMFC

No.3369-3290-15Fifty-2.—In execise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specified in cloumn (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Burhanpur	Burhanpur	Shri Hiralal Alawa, JMFC.
2	Shivpuri	Shivpuri	Smt. Mini Gupta, JMFC

क्र. 3371-3259-15 पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए,कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायकि अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनूपपुर	अनूपपुर	श्रीमती ज्योति राजपूत, JMFC

No.3371-3259-15-Fifty-2.—In execise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in cloumn (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Anoppur	Anoppur	Smt. Jyoti Rajpoot, JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उइके, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 8-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गूजरझिरिया, 13/101	183/1 183/2 183/3 183/4	0.360
			184/1, 196/1 184/2, 196/2	0.650
			195	0.080
			197/1 197/2 197/3	0.162
			कुल . .	1.252

प्र. क्र. 15–अ–82 वर्ष 2014–15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 15, दिनांक 20 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गौंडीझिरिया, 124/14	63, 64, 65	0.279
			120/2, 126/2 120/1, 126/2 120/2, 120/3 120/4, 126/3 120/5, 126/4	0.020
			66, 67/1	0.036
			60, 62	0.263
			69, 70	0.224

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			77/1, 78/3, 78/1ख 77/2, 78/1क, 78/2ख	0.134
			112/1, 112/2	0.061
			123/1, 124/1, 128/1, 123/2,124/2, 128/2	0.323
			125, 126/1	0.474
			56/4, 59/2	0.186
			130/1, 131/1, 132/1, 130/2, 131/2, 132/2, 130/3, 131/3, 132/3, 130/4, 131/4, 132/4	0.692
			141	0.291
			142/1, 142/2-3	0.089
			143, 144, 145, 147	0.186 0.004
			180/1, 185/1, 180/5, 184/9, 184/1, 184/2, 180/2, 184/10, 180/3, 184/7, 180/4, 184/8, 184/2, 184/3, 186/1	1.093
			187/1, 139/7	0.114
			187/3, 187/4, 187/5	0.012
			कुल . .	4.481

प्र. क्र. 12-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 12 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चिरहकलां 13/100	363/1 364/1 363/2 364/2	0.701

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			365/11 365/1क 365/1ग 365/1ख 365/2 क 365/2ख, 365/3 365/4 365/5 365/6 365/7 365/8 365/9 365/10	0.486
			366/13, 366/14	0.186
			366/9, 366/10, 366/11, 365/15, 365/16 365/17, 365/18	0.660
			366/5, 366/6	0.231
			366/3, 366/4	0.142
			366/2	0.093
			366/1	0.043
			योग . .	2.542

प्र. क्र. 9-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 9 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	खैरीकलां	510/1, 510/2,	0.490
			514/1, 514/2	0.109
			515/1, 516/2क, 517/1, 515/2, 516/2ख	0.303
			516/1, 524/1क, 524/1ख 524/2, 516/3, 516/4	0.178
			523/1, 528, 523/2	0.607
			530/1, 530/2, 530/3, 530/5	0.405
			544/1, 545, 544/2	0.352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			546/1, 546/2	0.251
			546/3, 547, 549	0.101
			552/1, 552/2	0.069
			553/1, 553/2	0.381
			556/1, 556/7, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5 557/1	0.490
			557/2, 558/4, 558/1, 558/2, 558/3	0.433
			577/1, 577/3	0.146
			577/2, 577/4, 577/5, 577/8	0.113
			576/1, 576/2, 576/3, 576/4	0.271
			योग . .	4.699

प्र. क्र. 10-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 10 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	अठ्ठाईसा, 123/10	253/1क	0.174
			253/1ख, 253/1ग	0.405
			251/1, 251/2, 251/3	0.506
			249	0.016
			250/1, 250/2	0.401
			243/1, 243/2, 244/1, 245/1, 243/3, 244/2, 245/2	0.421
			232/1, 232/2	0.397
			233	0.024
			126/1, 126/2	0.166
			128/1, 128/2, 128/3	0.101
			129	0.016
			130	0.117
			131	0.016
			123/1	0.004
			132/1	0.571
			133/1क, 133/1ख, 133/1ग, 133/1ड, 133/1घ, 133/2, 133/3	0.620
			134/1क, 134/1ख, 134/1ग 134/2, 135/1, 134/3, 135/2	0.559
			137/2क, 138/2	0.057
			योग . .	4.571

प्र. क्र. 13-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 13 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	खकरिया, 113/2	27/1, 28/1, 27/2, 28/2	0.283
			26	0.049
			29/1, 29/3	0.434
			51/1, 58/1, 50/1	0.494
			52/1, 53/1, 52/2, 53/3, 53/2	0.279
			49/13, 62/13	0.160
			57/1, 57/2	0.344
			49/11, 62/11	0.296
			49/12, 62/12	0.037
			63/1, 63/2, 63/3	0.514
			61/2क, 61/2ख, 61/2ग	0.097
			64	0.202
			76/2, 76/3, 77/1	0.453
			78	0.158
			77/2	0.332
			71/1	0.575
			85/2क, 86/1, 86/2	0.037
			144	0.454
			167	0.292
			164	0.057
			165	0.190
			168/1	0.490
			168/2	0.009
			171/1क, 171/1ख	0.809
			198/1क, 198/2 क, 198/1ख, 198/2 198/1ड़, 198/2 ङ	0.328
			199	0.045
			200/1	0.008
			200/2	0.210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			201/1, 202/1	0.405
			204/1, 206/1	0.045
			203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6	0.478
			219/1, 219/2	0.223
			220/1, 221/1, 220/2, 221/2 222/1, 234/1, 222/2, 234/2, 222/3, 234/3, 222/4, 234/4,	0.490
			222/4, 234/4,	0.130
			236/1, 236/2 251	0.024
			235/1, 235/2, 253/3, 235/4	0.239
			253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5,	0.190
			228/1	0.032
			229/1क, 229/2क 229/1ख, 229/2ख	0.336
			228/2ख	0.024
			227/1, 228/1क, 227/2	0.073
			230/1, 230/2क, 230/2ख, 230/2ग	0.020
			कुल . .	10.345

प्र. क्र. 6-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 6 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरंकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	भटेरा, 1/111	505/1, 506/1, 507/1 505/3, 506/3, 507/3 505/2, 506/2, 507/2	0.344
			508/2, 509/2	0.004
			490/2, 490/3, 490/4, 490/5	0.133
			489	0.417
			492/1, 492/2	0.421

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			475/1, 476/1, 477/1, 478/1, 475/2-3, 476/2-3, 477/2-3, 478/2-3, 452/2	0.413
				0.024
			कुल . .	1.756

प्र. क्र. 7-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चिरहखुर्द	8/1, 8/2	0.065
		124/14	10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5	0.077
			44/1, 44/2, 44/3, 45/1 44/4, 45/5, 44/6, 45/2	0.546
			48/1, 48/2, 51/2, 48/3	0.397
			48/4, 51/1, 49/1, 50/1, 49/2, 50/2, 49/3, 50/3, 49/5, 50/5, 49/4, 50/4	0.777
			87/1, 87/4, 87/2, 87/3	0.211
			96/1, 96/3, 96/2	0.235
			105/1, 105/2, 105/3	0.502
			कुल . .	2.810

प्र. क्र. 11-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 11 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	बरहटा 92/17	21/2, 21/3, 21/1, 21/4, 21/5,21/6, 21/7, 21/8,	0.259
			21/9, 21/10, 21/11, 23/2, 22	0.150
			24/1, 24/2	0.081
			25	0.032
			26/1, 27/1, 26/3, 27/5, 27/2, 28/1, 27/3, 28/2	0.589
			38/3, 39/1	0.012
			40/1,	0.073
			41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5	0.319
			45	0.008
			46/1, 46/2	0.348
			48/1, 48/2	0.320
			129/2	0.283
			130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5	0.278
			योग . .	2.752

प्र. क्र. 14-अ-82 वर्ष 2014-15.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 14, दिनांक 20 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	कौड़ियां, 14	40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5	0.340
			48	0.049
			82/1, 80/2, 81/2, 82/2, 82/4, 82/3, 80/4, 81/4, 82/4	0.089

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			86/2-94, 86/3, 96/1, 96/2, 86/4, 95/1ख, 96/2 86/5, 99/1घ 86/8, 99/1क, 86/9 99/1ख, 99/1ग 99/1घ, 99/1ग 99/1ड, 99/1च 99/1छ	0.016
				योग. . 0.494

नरेश पाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. 2405-मण्डी निर्वा-2014.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सिमरिया जिला पन्ना के तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि के लिए उप निर्वाचन 2014 में निम्नानुसार तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	बद्री प्रसाद पिता सियाराम पाल	तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि	वार्ड क्रमांक 16 ग्राम एवं पोस्ट सिमरिया जिला पन्ना म. प्र.

आर. के. मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन).

आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विशेष विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. 7924-3630-अका.-2015-विपप्र.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये नई व्यवस्था लागू की गई है जो दिनांक 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील है.

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1115-1395-2015-1-9 दिनांक 25-8-2015 द्वारा गत विभागीय परीक्षा जो केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये माह सितम्बर, 2015 में आयोजित की गई थी,

के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये एक विशेष परीक्षा पूर्व पाठ्यचर्या अनुसार दिनांक 18-1-2016 से 23-1-2016 के मध्य मध्यप्रदेश के समस्त संभागायुक्तों द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी :—

स. क्र. (1)	प्रश्न पत्र का विषय (2)	समय (3)
	18 जनवरी, 2016	
1.	प्रश्नपत्र-प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)एवं भू-अभिलेख राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	प्रश्नपत्र-द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश एवं निर्णय का लिखा जाना) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	19 जनवरी, 2016	
3.	प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-सी, (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	प्रश्नपत्र-द्वितीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	20 जनवरी, 2016	
6.	प्रश्नपत्र-तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
7.	प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख, एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	21 जनवरी, 2016	
8.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.
9.	प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	22 जनवरी, 2016	
10.	प्रश्नपत्र-पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया भू-अभिलेख, पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

11.	''हिन्दी'' निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक.

23 जनवरी, 2016

12.	प्रश्नपत्र प्रथम-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट.—(1) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे, कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी.

(2) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्र. एफ 1-15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षार्थिओं पर लागू नहीं होगी. इन प्रमाण-पत्रों को आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को दिनांक 5 जनवरी, 2016 तक भेजेंगे.

(4) जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति/जनजाति दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाये.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 6-24-2008-चौवन-2.—अति. प्रशासकीय अधिकारी, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक उविनि/प्रशा./व्य. नं./2143, दिनांक 8 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री एस. के. फारूकी, अति. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (वर्तमान जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, जिला कार्यालय राजगढ़) की सेवाएं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल के उक्त पत्र के अनुक्रम में श्री एस. के. फारूकी को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है. श्री फारूकी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री निसार अहमद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीया, उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सागर(म.प्र.)

क्रमांक/ /न्या.लि./15 सागर, दिनांक 29/07/2015

// अधिसूचना जारी बावत//

सचिव म.प्र.शासन गृह, (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र एफ–दो(क) 15/99/बी–3/दो दिनांक 11.10.2004 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्डप्रक्रिया संहिता 1973(1974) संख्याक–2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को म.प्र. राज्य पत्र ने इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :–

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थानों/अनुभाग से उसके (सारणी के कालम) (2) में विनिदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित किये जाने हेतु।
2. सारणी के कालम (2) में विनिदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित अनुभाग रहली/खुरई के थाना क्षेत्र के ग्रामों का परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव।

अनुभाग–रहली

सारणी

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है।	वर्तमान में किस थाना चौकी अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मलित किया जाना है, नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित	ग्राम पंचायत सभा का अभिमत	रिमार्क
1	ग्राम रानगिर	थाना गौरझामर 20 कि.मी.	थाना रहली 20 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना गौरझामर में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है व दूरी समान होने से एवं ग्राम रानगिर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रानगिर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2	ग्राम रामपुर	थाना गौरझामर 12 कि.मी.	थाना रहली 21 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम रामपुर की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3	ग्राम पाटई	थाना गौरझामर 13 कि.मी.	थाना रहली 22 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम पाटई की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4	ग्राम सकरी	थाना गौरझामर 15 कि.मी.	थाना रहली 15 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है व समान दूरी होने से एवं ग्राम सकरी की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5	ग्राम परासई	थाना गौरझामर 16 कि.मी.	थाना रहली 17 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम परासई की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
6	ग्राम पटना	थाना गौरझामर 16 कि.मी.	थाना रहली 14 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम पटना की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
7	ग्राम सेहरी	थाना गौरझामर 03 कि.मी.	थाना रहली 15 कि.मी.	माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग म.प्र. द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान मे देवरी अनुभाग के अंतर्गत आता है एवं ग्राम सेहरी की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अंतर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुभाग–खुरई

सारणी

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है।	वर्तमान में किस थाना चौकी अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना /चौकी में सम्मलित किया जाना है, नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित	ग्राम पंचायत सभा का अभिमत	रिमार्क
1	ग्राम धरमपुर	थाना बांदरी से 40 कि.मी.	थाना खुरई से 15 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम धरमपुर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम धरमपुर को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है
2	ग्राम बलोप	थाना बांदरी से 38 कि.मी.	थाना खुरई से 14 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बलोप की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बलोप को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3	ग्राम पाली	थाना बांदरी से 30 कि.मी.	थाना खुरई से 14 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पाली की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पाली को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4	ग्राम पिपरिया गौड़	थाना बांदरी से 35 कि.मी.	थाना खुरई से 13 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पिपरिया गौड़ की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पिपरिया गौड़ को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5	ग्राम कुमरोल	थाना बांदरी से 36 कि.मी.	थाना खुरई से 13 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम कुमरोल की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम कुमरोल को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6	ग्राम बछउ	थाना बांदरी से 37 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बछउ की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बछउ को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
7	ग्राम बांदरी	थाना बांदरी से 36 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बांदरी की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बांदरी को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
8	ग्राम गोलनी	थाना बांदरी से 35 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम गोलनी की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम गोलनी को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9	ग्राम नारधा	थाना बांदरी से 35 कि.मी.	थाना खुरई से 15 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम नारधा की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम नारधा को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
10	ग्राम बहरोल	थाना बांदरी से 45 कि.मी.	थाना खुरई से 15 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बहरोल की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बहरोल को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
11	ग्राम नगदा	थाना बांदरी से 09 कि.मी.	—.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम नागदा की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम नगदा को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ग्राम ढेमाढाना	थाना बांदरी से 12 कि.मी.	–	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम ढेमाढाना की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम ढेमाढाना को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ग्राम जमुनिया धीरज	थाना बांदरी से 18 कि.मी.	थाना खुरई से 12 कि.मी.	माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र. द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम जमुनिया धीरज की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अंतर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम जमुनिया धीरज को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ए. के. सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट सागर एवं पदेन
उपसचिव म. प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्र. 2354-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कछिगवाँ कोठार 53	2.150	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2356-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	ढकरा पैपखार 241	1.167	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2358-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	धकरा पैपखार 174	0.668	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व निभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2360-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	चौर कोठार 186	1.341	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2362-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	मनीपुर कोठार 454	2.856	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2364-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रमगढ़वा पवाई 486	19.650	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2366-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण

धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कुसहा पवाई नं. 190	0.250	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की माइनर नहर आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. 2390-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	मऊ कोठार	1.335	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत कछवारा टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व निभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मटेवरा	निजी भूमि रकबा 14.88 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.26 है. कुल रकबा 18.14 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बॉध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मोहाई	निजी भूमि रकबा 12.62 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 11.62 है. कुल रकबा 24.24 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बॉध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	बिल्हा कंगाली	निजी भूमि रकबा 33.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 65.41 है. कुल रकबा 99.01 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बॉध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 031-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	खमतरा	निजी भूमि रकबा 1.51 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 है. कुल रकबा 1.59 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 032-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	जमड़ा	निजी भूमि रकबा 1.142 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.292 है. कुल रकबा 1.434 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	जमड़ा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 033-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रानीपुरा	निजी भूमि रकबा 3.480 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.340 है. कुल रकबा 3.820 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	बिल्हा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 034-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बहिरवारा	निजी भूमि रकबा 1.230 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.170 है. कुल रकबा 1.400 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	बिल्हा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 040-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	खभरा	निजी भूमि रकबा 5.37 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 है. कुल रकबा 5.52 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

पत्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	ईशानगर	पहाड़गांव	12.500	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	ईशानगर	सलैया	9.00	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	ईशानगर	बंधीकलां	22.500	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. 10730-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11(1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बडोंल.	मुगंवानी खुर्द प.ह.नं. 17, ब.नं. 491.	1.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 10738-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती

है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11(1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बडोंल.	पिपरीया प.ह.नं. 09, ब.नं. 337.	2.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 10740-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और उपधारा उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11(1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बडोंल.	सिघोंड़ी प.ह.नं. 07 ब.नं. 477.	1.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. 1-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—लांजी

(ग) ग्राम—पौसेरा, प. ह. नं. 20

(घ) क्षेत्रफल—0.277 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
209	0.008
245	0.081
236/6	0.061
244	0.121
241/1ख, 241/1 ग	0.004
236/14	0.002
कुल योग . .	0.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन.—घोटी-पौसेरा-चिचोरा-चौरिया मार्ग में सोन नदी पुल निर्माण (पहुंच मार्ग) हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन) अनुविभाग लांजी, जिला बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण सेतु निर्माण उप सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्र.-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—जवेरा

(ग) ग्राम—सिंग्रामपुर, कलेहराखेड़ा, कलेहरा देवतरा सिंगौरगढ़.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.28 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित (क्षेत्रफल) रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-सिग्रामपुर	
237/1	0.05
योग . .	0.05
ग्राम-देवतरा सिंगौरगढ़	
23	0.05
योग . .	0.05
ग्राम-कलेहराखेड़ा	
121	0.05
281	0.05
730/1	0.05
563	0.03
योग . .	0.18
कुल योग . .	0.28

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा संभागीय प्रबंधक एम. पी. आर. डी. सी. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र.-भू-अर्जन-01(अ-82)2015-16-1095.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—गनवाही माल, प. ह. नं. 21, रा.नि.म. शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.022 हेक्टेयर.

	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
6	1.992	
4	2.480	
3	0.080	
21/1	1.130	
21/2	0.400	
22	1.040	
19/2	0.190	
74/1	0.740	
74/2	0.370	
29	0.100	
71/1	0.400	
71/2	0.400	
69/1	0.100	
69/2	0.070	
68/1	0.220	
68/2	0.100	
66	0.010	
295	0.400	
296	0.050	
150/1	0.130	
150/2	0.130	
72	0.200	
77	0.320	
75	0.090	
82	1.190	
8/1	2.210	
8/2	1.620	
88	0.220	
15	0.030	
11/1	0.010	
11/2	0.120	
9	0.020	
योग . .	16.562	
योग . .		11.460
सकल योग. .	28.022	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-02(अ-82)2015-16-1096.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—तेंदूमेर मोहतरा, प. ह. नं. 11, रा.नि.म. शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—44.10 हेक्टेयर.

	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
24	0.010	
25	0.010	

(1)	(2)	(3)
26	0.403	
50	0.91	
49	3.18	
52	0.24	
48	3.61	
45/1	1.37	
45/2	1.06	
45/3	1.13	
46	3.70	
47	0.30	
43	1.81	
44	1.96	
41	1.95	
40	2.14	
38	0.38	
39	2.04	
2	4.50	
3	3.64	
5	0.63	
6	0.80	
8	3.60	
9	1.00	
22	0.02	
13	0.05	
योग . .	40.44	
37		0.64
42		0.37
4		0.83
7		1.82
योग . .		3.66
सकल योग. .	44.10	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मुड़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-03(अ-82)2015-16-1089.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—जाटा माल, प. ह. नं. 21, रा.नि.म. शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—64.190 हेक्टेयर.

	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
273	2.880	
275	1.030	
264	1.830	
260	0.700	
269	0.820	
270	1.220	
271	1.740	
247	1.630	
266	1.370	
267	0.990	
259	1.110	
235	0.030	
238	2.360	
246	1.140	
249	4.520	
268	0.820	
254	1.950	
256	0.220	
257	2.800	
258	0.360	
253	1.550	
251	0.400	
252	0.530	
213	1.260	
215	0.560	
216	0.560	
217	0.250	
218	0.560	
209	0.480	
210	0.420	
211	0.380	
212	0.470	

(1)	(2)	(3)
219	0.560	
220	0.310	
221	0.700	
222	0.760	
205	1.790	
225	0.400	
206	0.190	
197	0.400	
192	1.240	
188	1.490	
189	0.400	
14	0.140	
184	0.370	
177	0.440	
योग . .	46.130	
योग . .		18.060
सकल योग. .	64.190	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-04(अ-82)2015-16-1090.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—कुटदर रैयत, प. ह. नं. 21, रा.नि.म. शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.870 हेक्टेयर.

	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
193/1	1.500	
193/2	0.520	
192/1	0.270	
192/2	0.260	
191	1.330	
190	0.810	
189	0.380	
188	0.660	
186	1.020	
185/1	0.370	
185/2	0.360	
184/1	0.490	
184/2	0.490	
182	0.350	
183	0.780	
187	1.460	
176/2	0.240	
175	0.450	
170	0.290	
168	0.360	
169	1.100	
178/1	0.680	
178/2	0.460	
179	0.680	
180	0.460	
167	0.140	
125/1	0.240	
125/2	0.130	
124/1	0.170	
124/2	0.590	
126	0.250	
123	0.590	
127	0.200	
128	0.120	
129/1	0.010	
129/2	0.100	
131/1	0.050	
131/2	0.050	
133/2	0.080	
114	0.010	
116	0.140	
119	0.300	
121	0.330	

(1)	(2)	(3)
94	1.120	
97/2	0.350	
योग . .	20.740	
योग . .		3.130
सकल योग. .	23.870	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-05(अ-82)2015-16-1091.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—विनोदी माल, प. ह. नं. 11, रा.नि.म. शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.29 हेक्टेयर.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
421	1.230	
422	1.020	
423	0.450	
424	0.640	
425	0.710	
349	0.470	
350/1	0.830	
350/2	0.830	
470	0.010	
377	2.100	
378	1.790	
430	0.210	
435	0.100	
434	0.100	
433	1.440	
347	0.130	
311	0.020	
419	0.460	
418	1.510	
417	1.540	
416	0.920	
381	0.430	
348	0.050	
414	4.270	
412	1.000	
410	1.020	
409	2.320	
408	1.480	
404/1	1.050	
404/2	0.800	
403	0.810	
405	0.300	
407	1.290	
406	1.810	
415	2.560	
400	2.230	
402	0.760	
397	1.170	
398	0.840	
399	0.200	
395	1.100	
387	0.630	
386	0.020	
394/1	0.850	
393	0.340	
392	0.500	
390	0.020	
385	1.420	
योग . .	45.780	
420		0.025
379		0.050
431		0.200
351		0.020
429		3.840
380		0.360
413		0.040
388		0.460

(1)	(2)	(3)
411		0.170
401		0.160
396		0.180
	योग . .	5.505
सकल योग . .	51.29	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-06(अ-82)2015-16-1092.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—मुढ़की माल, प. ह. नं. 21, रा.नि.म. शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.440 हेक्टेयर.

	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
85	2.920	
84/1	3.170	
84/2	3.180	
83	0.300	
82/2	0.180	
69/1	1.540	
94/2	0.100	
91	2.400	
92	1.040	
89/1	0.700	
89/2	0.700	
86/1	0.260	
86/2	0.260	
87/1	0.440	
87/2	0.460	
योग . .	17.650	
	योग . .	3.790
सकल योग . .	21.440	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-07(अ-82)2015-16-1094.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—पाकर बघर्रा रैयत, प.ह.नं. 08, रा.नि.म.डिण्डौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.88 हेक्टेयर.

	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	0.19	
2	0.01	
3	0.04	
12/2	0.11	
12/1	0.13	
17	0.06	
19	0.23	
28	0.13	
32	0.16	
58	0.11	
59	0.10	
60	0.24	
68/1	0.05	

(1)	(2)	(3)
68/2	0.05	
67	0.03	
69	0.17	
	योग . . 1.81	
8		0.02
16		0.04
27		0.01
		योग . . 0.07
सकल योग . .	1.88	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पाकर बघर्रा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-08(अ-82)2015-16-1093.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—पाकर बघर्रा माल, प.ह.नं. 08, रा.नि.म. डिण्डौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.25 हेक्टेयर.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
40	0.11	
39	0.19	
38/1	0.19	
38/2	0.14	
35/1	0.08	
35/2	0.08	
36	0.03	
28/1	0.04	
28/2	0.04	
92/1	0.04	
92/2	0.04	
93/1	0.01	
93/2	0.01	
88/1	0.19	
94/1	0.12	
88/2	0.01	
94/2	0.17	
95	0.02	
96	0.12	
114	0.13	
110	0.09	
112	0.03	
134	0.18	
135	0.04	
133	0.12	
132	0.01	
445	0.14	
447/2	0.10	
447/1	0.05	
628	0.01	
636	0.01	
629	0.10	
630	0.01	
599	0.17	
598/1	0.02	
597	0.03	
566	0.15	
567	0.09	
562	0.04	
570	0.13	
569/2	0.05	
576/1	0.01	
574/1	0.08	
574/2	0.01	
573/2	0.02	
573/1	0.04	
555/1	0.18	
554/1	0.01	
554/2	0.01	
663	0.72	
670	0.20	
671	0.18	
672	0.17	
691	0.19	
690/2	0.07	

(1)	(2)	(3)
689	0.08	
688	0.12	
687/2	0.02	
686/2	0.05	
707	0.32	
711/4	0.06	
711/3	0.12	
711/2	0.01	
703	0.03	
713	0.19	
712/1	0.18	
413	0.16	
411	0.01	
731/1	0.07	
733/2	0.06	
733/1	0.06	
731/2	0.03	
735	0.04	
726	0.13	
716/1	0.08	
716/2	0.02	
720	0.08	
719	0.01	
721	0.03	
722	0.13	
723	0.03	
752	0.03	
756	0.34	
750	0.01	
745	0.01	
388	0.16	
389	0.12	
393	0.01	
385	0.19	
329/2	0.04	
329/1	0.13	
329/3	0.03	
383	0.20	
381/1	0.29	
380	0.08	
योग . .	8.98	
91		0.02
113		0.03
128		0.02
443		0.01
631		0.01
556		0.02
673		0.02
676		0.01
412		0.04
717		0.03
751		0.01
377		0.03
382		0.02
योग . .		0.27
सकल योग . .	9.25	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पाकर बघर्रा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

पत्र क्र. 2326-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—टंगहा
(घ) क्षेत्रफल —6.103 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (माइनर नहर निर्माण हेतु)	अर्जित रकबा (हे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	0.479	-
10	0.437	-

(1)	(2)	(3)
11	0.483	–
12	0.385	–
13	0.057	–
30	0.081	–
152	0.022	–
155	0.080	–
156	0.086	–
157	0.004	–
160	0.068	–
164	0.121	–
165	0.040	–
166	0.038	–
168	0.070	–
169	0.057	–
170	0.046	–
172	0.004	–
176	0.069	–
177	0.011	–
178	0.092	–
182	0.015	–
185	0.010	–
186	0.079	–
187	0.049	–
188	0.053	–
189	0.147	–
305	0.124	–
309	0.091	–
315	0.371	–
493	0.724	–
494	–	0.027
601	0.007	–
602	0.102	–
603	0.104	–
604	0.086	–
606	–	0.021
607	0.044	–
608	–	0.035
646	0.170	–
647	0.024	–
648	0.056	–
650	0.081	–
670	0.118	–
671	0.075	–
674	0.071	–
675	0.038	–
676	0.003	–
680	0.045	–
691	0.058	–
692	0.054	–
693	–	0.062
698	0.270	–
716	0.159	–
कुल योग.	6.103	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2328-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—रिमारी
(घ) क्षेत्रफल —2.903 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
337	0.048	–
338	0.012	–
339	0.051	–
340	0.010	–
341	0.048	–
342	0.030	–
343	0.023	–
344	0.045	–

(1)	(2)	(3)
351	0.030	–
497	0.096	–
498	0.204	–
500	0.024	–
501	0.043	–
502	0.072	–
503	0.036	–
504	0.084	–
508	0.138	–
511	–	0.042
512	0.084	–
513	0.057	–
520	–	0.034
526	0.032	–
527	0.013	–
528	0.002	–
529	0.137	–
561	0.002	–
562	0.180	–
563	0.068	–
578	0.216	–
579	0.252	–
583	0.024	–
584	0.137	–
585	0.132	–
601	0.259	–
610/343	0.042	–
611/579	0.095	–
218	0.101	–
कुल योग. .	2.903	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2330-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—डोडौ

(घ) क्षेत्रफल —2.007 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (माइनर नहर निर्माण हेतु)	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
511	0.001	–
766	–	0.025
768	0.046	–
769	0.058	–
776	0.073	–
777	0.024	–
824	0.015	–
825	0.113	–
828	0.109	–
832	0.141	–
834	0.002	–
835	0.048	–
836	0.024	–
843	0.001	–
844	0.108	–
845	0.064	–
886	0.002	–
887	0.142	–
894	0.038	–
895	0.153	–
896	0.142	–
898	–	0.026
900	0.012	–
937	0.059	–
938	0.073	–
939	0.050	–
945	0.091	–
946	0.094	–
947	0.031	–
948	0.091	–
949	0.070	–

(1)	(2)	(3)
961	0.012	–
1201	0.058	–
1202	0.004	–
1205	0.007	–
योग . .	1.956	0.051
कुल योग. .	2.007	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2332-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—चंपागढ़

(घ) क्षेत्रफल —1.770 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
846	0.024	–
860	0.002	–
861	0.042	–
863	0.010	–
867	0.058	–
868	0.049	–
869	0.057	–
890	0.041	–
894	0.067	–
897	0.081	–
898	0.036	–
899	0.012	–
925	0.079	–
926	0.555	–
929	0.228	–
930	0.067	–
996	0.362	–
कुल योग. .	1.770	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2334-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—गंज कोठार 123

(घ) क्षेत्रफल —1.082 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
2	0.172	–
4	0.016	–
308	0.110	–
39	0.004	–
40	0.359	–
43	0.063	–
44	0.055	–
118	0.001	–
120	0.087	–

(1)	(2)	(3)
121	0.043	–
122	0.103	–
133	0.030	–
178	0.036	–
	योग . .	1.079
(ब) शासकीय भूमि		
47	–	0.003
	योग . . –	0.003
	महायोग . .	1.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2336-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—मोहनपुर पवाई 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.602 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
21	0.056	–
24	0.016	–
25	0.021	–
67	0.033	–
68	0.021	–
69	0.018	–
70	0.037	–
71	0.053	–
72	0.081	–
73	0.040	–
76	0.061	–
77	0.025	–
79	0.121	–
योग . .	0.583	
(ब) शासकीय भूमि		
54	–	0.006
75	–	0.011
78	–	0.002
योग . .		0.019
महायोग . .		0.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर माईनर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2338-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—कुठिला 68
(घ) क्षेत्रफल —1.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
179	0.073	–
181	0.037	–

(1)	(2)	(3)
182	0.067	–
183	0.108	–
184	0.145	–
227	0.060	–
231	0.027	–
232	0.043	–
233	0.043	–
238	0.065	–
240	0.068	–
243	0.106	–
244	0.040	–
245	0.082	–
246	0.004	–
247	0.033	–
योग . .	1.001	
(ब) शासकीय भूमि		
241		0.039
योग . .		0.039
महायोग . .		1.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2340-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—बरहुला उर्फ सीगों टोला 384

(घ) क्षेत्रफल —2.575 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
219	0.097	–
271	0.032	–
279	0.002	–
280	0.095	–
281	0.057	–
283	0.032	–
288	0.006	–
646	0.051	–
647	0.055	–
649	0.229	–
650	0.046	–
651	0.186	–
652	0.017	–
653	0.024	–
654	0.285	–
655	0.399	–
667	0.094	–
668	0.435	–
670	0.193	–
योग . .	2.335	
(ब) शासकीय भूमि		
272	–	0.090
282	–	0.150
योग . .		0.240
महायोग . .		2.575

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2342-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—पुरानिक पुरवा कोठार 336

(घ) क्षेत्रफल —0.695 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
60	0.031	–
78	0.024	–
79	0.007	–
80	0.107	–
83	0.139	–
85	0.004	–
107	0.023	–
108	0.086	–
109	0.001	–
110	0.081	–
233	0.091	–
234	0.053	–
235	0.024	–
योग . .	0.671	
(ब) शासकीय भूमि		
84	–	0.018
223	–	0.006
योग . .		0.024
महायोग . .		0.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2344-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—चौबेनपुरवा मुड़वार 188

(घ) क्षेत्रफल —0.458 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
110	0.072	–
120	0.122	–
121	0.054	–
122	0.054	–
127	0.057	–
योग . .	0.359	
(ब) शासकीय भूमि		
56	–	0.080
123	–	0.019
योग . .		0.099
महायोग . .		0.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2344-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—उपरवार कोठार 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.997 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
152	0.195	–
289	0.108	–

(1)	(2)	(3)
335	0.035	–
336	0.001	–
337	0.159	–
338	0.081	–
345	0.020	–
346	0.024	–
347	0.058	–
353	0.316	–
योग . .	0.997	
(ब) शासकीय भूमि		निरंक
महायोग . .		0.997

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2348-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—कोटवा पैपखार 89
(घ) क्षेत्रफल —0.437 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
31	0.072	–
32	0.029	–
34	0.045	–
35	0.029	–
36	0.036	–
50	0.074	–
51	0.058	–
52	0.087	–
योग . .	0.430	
(ब) शासकीय भूमि		
33	–	0.007
योग . .		0.007
महायोग . .		0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2350-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—गगहना पैपखार 119
(घ) क्षेत्रफल —0.907 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
457	0.140	–
458	0.058	–
459	0.589	–
460	0.024	–
योग . .	0.811	
(ब) शासकीय भूमि		
473	–	0.096
योग . .		0.096
महायोग . .		0.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2352-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—जोन्हा कोठार 203

(घ) क्षेत्रफल —3.765 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
10	0.207	–
14	0.009	–
16	0.115	–
17	0.074	–
20	0.111	–
21	0.109	–
23	0.127	–
24	0.012	–
78	0.053	–
79	0.058	–
95	0.202	–
234	0.017	–
235	0.040	–
250	0.106	–
253	0.036	–
255	0.040	–
256	0.070	–
257	0.058	–
282	0.045	–
283	0.060	–
284	0.059	–
287	0.063	–
306	0.001	–
350	0.006	–
358	0.094	–
359	0.038	–
361	0.014	–
362	0.002	–
363	0.220	–
377	0.033	–
378	0.069	–
379	0.070	–
380	0.021	–
381	0.005	–
382	0.076	–
383	0.121	–
384	0.001	–
385	0.100	–
386	0.139	–
389	0.001	–
390	0.113	–
396	0.008	–
505	0.070	–
506	0.145	–
527	0.114	–
532	0.041	–
533	0.069	–
534	0.023	–
535	0.037	–
538	0.056	–
539	0.001	–
541	0.125	–
542	0.079	–
564	0.013	–
योग . .	3.576	
(ब) शासकीय भूमि		
13	–	0.079
94	–	0.008
236	–	0.015
291	–	0.013
372	–	0.061
537		0.013
योग . .		0.189
महायोग . .		3.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

पत्र. क्र. 2380-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—नौगांव नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल—39.202 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
36, 36/709	0.042
73, 73/746	0.408
74, 74/747	0.101
77/1, 77/750	0.558
78/1, 78/2, 78/3, 78/751	0.968
79/1, 79/2, 79/3, 79/752	0.727
80/2	0.381
81/1, 81/2	0.233
86/1, 86/2, 86/3, 86/759	0.043
87, 87/760	1.554
88/1, 88/2, 88/3, 88/761	0.272
89, 89/762	0.545
90, 90/763	0.798
91, 91/764	1.120
92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/765	0.095
93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/766	1.917
95/1, 95/2/क, 95/2/ख 95/768	0.385
96, 96/769	0.473
97, 97/767, 97/770	2.428
98/1/क, 98/1/ख, 98/2, 98/771	0.646
91/1/ख, 99/2, 99/772	1.911
188/1, 188/2, 188/861	0.053
189/1, 189/2, 189/862	0.161
190, 190/863	0.451
191, 191/864	0.353
192, 192/865, 192/866/3/ख	1.312
193 193/866 शामिल नं. 194/867, 195/868, 197/870 193/866/1 शामिल नं. 197/867 193/866/2, 194/867, 195/868/2, 197/87 193/866/3 शामिल नं. 194/867, 195/868, 197/870 193/866/3/ख शामिल नं. 194/867, 195/868, 197/870	0.231
194/1, 194/2	0.015
196/1, 196/2	
196/869/1, 196/869/2,	1.442
197/1, 197/2	0.237
198/1, 198/2, 198/3, 198/4 198/871/1/1, 198/871/1/2, 198/871/1/3, 198/871/1/4, 198/871/5, 198/71/1/6, 198/871/1/7, 198/872/2, 198/872/2,	2.965
199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/872/1, 199/872/2	0.221
200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/872/2, 200/873/1/1, 200/873/1/2, 200/873/1/3, 200/873/1/4, 200/873/1/5, 200/873/2/1, 200/873/2/2, 200/874/1/1,	1.589
201/1, 201/2, 201/3, 201/874/1/3, 201/874/1/4, 201/874/2	0.367
224/1/क/1, 224/1/क/1/क/1 224/1/क/1क/2, 224/1/क/1/क/3 224/1/क/2, 224/1/क/3, 224/2, 224/3/क, 224/3/ख, 224/897	3.776

(1)	(2)
277, 277/950/1/क 277/950/1/ख, 277/950/1/ग 277/950/2/क, 277/950/1/ख, 277/950/1/ग, 277/950/2/क, 277/950/2/ख, 277/950/2/ग	0.095
280, 280/953/1	0.368
282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 283/954, 283/1/क/1,	0.678
283/1/क/2, 283/1/ख, 283/2,	0.186
283/3, 284/155, 284/1, 284/1, 284/2,	2.584
284/3, 284/4,284/5, 286/6, 284/7, 284/8, 284/956/1/क, 284/956/1/ख, 284/956/2	2.585
293	0.031
299/1, 299/2, 299/3, 299/971	0.156
300/1, 300/2/क, 300/2/ख, 300/3, 300/972	0.403
301/1, 301/2, 301/973	0.469
302, 302/974	0.263
303/1, 303/2/क, 303/2ख, 303/3, 303/975	1.456
309/981	0.451
310/1, 310/2, 310/982/1/क, 310/982/1/ख, 310/982/2, 310/982/3	0.134
311/1, 311/2, 311/4, 311/983/1, 311/983/2	1.163
312/1, 312/2, 312/3, 312/984	0.837
313/1, 313/2, 313/3	0.699
योग . .	38.751
ब—शासकीय भूमि की भूमि	
309	0.451
योग . .	0.451
महायोग . .	39.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

पत्र क्र. 2382-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—बम्हना कोठार 366

(घ) क्षेत्रफल—4.121 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
66	0.034	
67	0.004	
68	0.009	
69	0.029	
70	0.062	
71	0.008	
74	0.083	
75	0.051	
78	0.002	
79	0.077	
80	0.054	
131	0.038	
132	0.058	
150	0.040	
151	0.022	
152	0.034	
153	0.034	
154	0.040	
155	0.038	
260	0.109	
268	0.070	
336	0.038	
339	0.077	
343	0.024	
344	0.044	
345	0.009	

(1)	(2)	(3)
347	0.128	
383	0.029	
384	0.035	
385	0.067	
362	0.019	
363	0.050	
365	0.058	
369	0.156	
368	0.002	
370	0.048	
371	0.108	
470	0.003	
471	0.043	
472	0.108	
473	0.012	
474	0.045	
475	0.048	
476	0.126	
477	0.102	
478	0.002	
510	0.016	
511	0.006	
516	0.032	
517	0.079	
518	0.104	
519	0.036	
520	0.122	
521	0.052	
525	0.032	
596	0.136	
597	0.024	
598	0.070	
599	0.035	
600	0.001	
601	0.049	
602	0.083	
606	0.141	
607	0.090	
608	0.058	
678	0.192	
679	0.044	
680	0.026	
681	0.054	
682	0.096	
683	0.038	
684	0.106	
(अ) का योग . .	4.095	

(1)	(2)	(3)
(ब) शासकीय भूमि		
252	–	0.026
(ब) का योग . .		0.026
(अ+ब) का महायोग . .		4.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा एवं माइनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2384-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—अतरैला पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.588 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
160	0.024	
163	0.217	
165	0.096	
228	0.102	
250	0.002	
251	0.109	
252	0.038	
योग (अ) का योग. .	0.588	
(ब) शासकीय भूमि . .	–	निरंक
महायोग . .		0.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के माइनर

नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

क्र. 11553-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—दिवारा, प.ह.नं. 19/48
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
345	0.19
360	0.20
346/2	0.10
355/1	1.00
355/2	2.00
355/3	0.69
358/4	0.40
358/6	0.40
358/5	0.04
योग . .	5.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 11554-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—सालीवाडा, प.ह.नं. 32/25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	2.20
5	0.96
6/1	1.83
6/2	0.80
7	0.83
9	0.41
11/1	0.60
8	0.83
32	0.04
योग . .	8.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 11555-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी

(ग) ग्राम—बरेली, प.ह.नं. 19/23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.96 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276	0.06
275	0.90
योग . .	0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्र. एफ. 285-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम—डोमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.682 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
540	0.155
541/1	0.034
541/2	0.034
554/1	0.300
554/2	0.060
585	0.024
586	0.200
587/1	0.049
587/2	0.049
588/1	0.030
588/2	0.163
589	0.182
601	0.135
603/1	0.078
604/1	0.052
605	0.042
615/1	0.040
615/2	0.080
615/3	0.080
616	0.032
618/1	0.177
618/2	0.024
622/1	0.025
622/2	0.050
623/1	0.060
623/2	0.015
631/1	0.049
631/2	0.110
632	0.052
633/2	0.040
634	0.028
625/1	0.029
635/2	0.029
636	0.038
637	0.038
638/1	0.038
638/2	0.029
निजी खाता भूमि योग . .	2.682

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अमझर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.